



2026:AHC:29654

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 528 सन् 2026

नवाब सिंह और एक अन्य
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: राहुल कुमार त्यागी
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 54

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार त्यागी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार गुप्ता, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार सिंह, गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता, श्री अवधेश कुमार पटेल, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है:-

I. परमादेश की प्रकृति में प्रतिवादी संख्या 2 को पुनरीक्षण संख्या 3625 सन् 2025 पर निर्णय लेने का निर्देश; कंप्यूटर वाद सं. एएल20251152003625; माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर यथाशीघ्र प्रताप सिंह और अन्य बनाम गौरज सिंह और अन्य के मामले में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

II. कोई अन्य और आगे का आदेश जारी करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्य और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे।

III. रिट याचिका की लागत रिट याचिका को प्रदान करें।”

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत निजी प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया पुनरीक्षण, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, 2025 से प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, क्योंकि इस तरह के उचित निर्देश एक समयबद्ध अवधि के भीतर उपरोक्त संशोधन के शीघ्र निस्तारण के लिए जारी किए जाएं।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का अंत में निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त संशोधन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

फरवरी 9, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”